



2026:AHC:50875

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9274 वर्ष 2026

बीना श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शांति धर द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पक्षकारों की श्रृंखला में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को नोटिस निर्गत कर तथा इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखे जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी पक्षकार उक्त आदेश से स्वयं को व्यथित/पीड़ित अनुभव करते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा जो मूल राहत मांगी गई है, वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर को निर्देशित किया जाए कि वह आरएसटी मामले संख्या 3732/2024 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी2024166530203732) में पुनः विचारार्थ आवेदन (रि-कॉल आवेदन) का निस्तारण यथाशीघ्र करें।
4. यह मामला लंबे समय से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय पहले ही व्यतीत हो चुका है, अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत रिस्टोरेशन आवेदन का निस्तारण **विधि के अनुसार कड़ाई से यथाशीघ्र तथा अधिमानतः** प्रमाणित प्रति के प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **चार माह की अवधि के भीतर करें** परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

12 मार्च, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।